

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह,  
विशेष सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उ0प्र0 लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ : दिनांक 23 जुलाई, 2015

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के उपघटक आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जनपद-जालौन की निकाय-उरई की 01 परियोजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5300/76/एक/आई0एच0एस0डी0पी0/मू0वृद्धि/2014-15, दिनांक 18 मार्च, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 से जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के उपघटक आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जनपद-जालौन की नगर निकाय-उरई की 288 आवासों के सापेक्ष अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के 208 आवासों की 01 परियोजना के लिए परियोजना की कुल पुनरीक्षित लागत **रु० 635.92 लाख (रूपये छः करोड़ पैंतीस लाख बानवे हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1. उक्त योजनान्तर्गत नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार तथा शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग एवं राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा लगाई गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया: पालन किया जायेगा तथा परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. परियोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन यथा-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
3. प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० संख्या-ई-8-2027/दस/2015, दिनांक 16 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)  
विशेष सचिव।

**संख्या-686/2015/921(1)/69-1-15-01(बजट)/09टीसी, तदिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, जालौन।
5. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
9. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
13. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)  
विशेष सचिव।